कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, भूतल, ब्लॉक 4डी, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)
☎ - 2263708 Fax - 2262558
website - tribal.cg.gov.in E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक / रा.यु.उ.यो. / 133 / 2022–23 / 6836 नवा रायपुर दिनांक 30 / 9 / 2022

छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग प्रदान किये जाने के लिए राज्य स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ''रुचि की अभिव्यक्ति'' का द्वितीय आमंत्रण

राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 अंतर्गत वर्ष 2022–23 में राज्य स्थित प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 100 विद्यार्थियों को जिला रायपुर (50 सीटे) एवं जिला दुर्ग (50 सीटें) में राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। अतएव विभाग द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत राज्य स्थित निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ''रुचि की अभिव्यक्ति'' (Expression of Interest) के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित है।

1. प्रस्ताव को जमा करने की अंतिम तिथि — 17-10.2022, अपरान्ह 3.00 बजे तक
2. निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना — 18-10.2022, अपरान्ह 3.00 बजे तक
3. पात्र पाए गए कोचिंग संस्थाओं का समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण एवं अंतिम मूल्यांकन — पृथक से सूचित किया जावेगा

विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से डाउनलोड कर अवलोकन कर सकते हैं।

(श्रीमती शम्मी आबिदी)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, भूतल, ब्लॉक 4डी, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)
☎ - 2263708 Fax - 2262558
website - tribal.cg.gov.in E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक / रा.यु.उ.यो. / 133 / 2022–23 / 6837 नवा रायपुर दिनांक 30 / 9 / 2022

छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग प्रदान किये जाने के लिए राज्य स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ''रुचि की अभिव्यक्ति'' का द्वितीय आमंत्रण

राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 अंतर्गत वर्ष 2022–23 में राज्य स्थित प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 100 विद्यार्थियों को जिला रायपुर (50 सीटे) एवं दुर्ग (50 सीटे) में राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। अतएव विभाग द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत जिला रायपुर एवं जिला दुर्ग में स्थित निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ''रुचि की अभिव्यक्ति'' (Expression of Interest) के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित है।

इच्छुक कोचिंग संस्थाएं 03 बंद लिफाफा पद्धति में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

1. प्रथम बंद लिफाफा :– संस्था के अनिवार्य योग्यता संबंधी विवरण,
2. द्वितीय बंद लिफाफा :– संस्था के तकनीकी योग्यता संबंधी विवरण,
3. तृतीय बंद लिफाफा :– वित्तीय लिफाफा।

(कोचिंग की अवधि राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के भाग (B) की कंडिका 8 अनुसार होगी)

इन तीनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना होगा। जमा किए जाने वाले अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होना चाहिए। संस्था के अनिवार्य योग्यता संबंधी दस्तावेजों के सही / पूर्ण पाए जाने पर ही द्वितीय लिफाफा खोला जाएगा। द्वितीय लिफाफा (तकनीकी योग्यता संबंधी) में पात्र पाए जाने पर ही तृतीय लिफाफा खोला जाएगा।

संस्था के चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित होगा। जिसमें 70 प्रतिशत अधिभार तकनीकी योग्यता एवं 30 प्रतिशत वित्तीय मूल्यांकन का अधिभार देते हुए तकनीकी एवं वित्तीय योग्यता का संयुक्त मूल्यांकन पश्चात् अंतिम मूल्यांकन के आधार पर संस्था का चयन किया जाएगा।

तकनीकी मूल्यांकन :– अनिवार्य योग्यता पूर्ण करने वाले फर्म / संस्था का ही तकनीकी प्रस्ताव (लिफाफा) खोला जायेगा, यह निम्नानुसार अधिकतम 100 अंक का होगा :–

क्र.	विवरण	निर्धारित अंक
1	संस्था की स्वयं का अधोसंरचना हो तथा संस्था संबंधित क्षेत्र में कार्य करने के अनुभव के आधार पर	20
2	संस्था द्वारा विगत 3 वर्षो में दी गई कोचिंग से राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त विद्यार्थियों का विवरण के आधार पर	20
3	शिक्षक / फैकल्टी सदस्यों का सम्पूर्ण विवरण के अनुसार	10
4	योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति के आधार पर	30
5	समस्या समाधान के बताये गये तरीके के आधार पर	20

इच्छुक कोचिंग संस्थाओं को रू. 1000/– का चालान बैंक में ''मद 0250–अन्य सामाजिक सेवाएं, 102–अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण, 800 अन्य प्राप्तियां (1)'' में आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रवती भवन, के नाम से जमा कर, चालान की प्रति प्रस्ताव के साथ प्रथम लिफाफा में संलग्न करना होगा।

1. प्रस्ताव को जमा करने की अंतिम तिथि 17/10/2022, अपरान्ह 3.00 बजे तक
2. निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना –18/10/2022, अपरान्ह 3.00 बजे
3. पात्र पायी गयी संस्थाओं का समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण एवं समग्र मूल्यांकन – पृथक से सूचित किया जावेगा

लिफाफा खोलते समय संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। डाक विभाग के गड़बड़ी के कारण विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन कर सकते हैं।

नोट :–

1. **छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी परिस्थितियों के अनुसार कोचिंग संस्था को ऑनलाईन/ऑफलाईन मोड में प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।**
2. **कोरोना वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के संदर्भ में आवश्यकता अनुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए पृथक से किसी प्रकार की कोई राशि देय नहीं होगी।**
3. **यह कोचिंग राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के अधीन संचालित होगा।**

(श्रीमती शम्मी आबिदी)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु राज्य स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ''रूचि की अभिव्यक्ति'' का आमंत्रण के लिए

आवेदन पत्र

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक ....दिनांक..................के संदर्भ में)

भाग– एक (प्रथम लिफाफा)

(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी अभिलेख)

क्र.	विवरण	संबंधित संलग्न अभिलेख का पृष्ठ क्र. अंकित करें
1.	(i) कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनिमय 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)/भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट के तहत पंजीकृत हो। (ii) संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। (iii) पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।	
2.	संस्था का पेन नम्बर (पेन कार्ड) की स्वयं सत्यापित छायाप्रति (पेन नंबर अनिवार्यतः होना चाहिए)।	
3.	संस्था का जी.एस.टी. नम्बर (जी.एस.टी. प्रमाण पत्र)/टेन नंबर की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।	
3.	(i) संस्था को विगत 03 वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा। विगत 05 वित्तीय वर्षो में से किन्ही 03 वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर राशि रूपये 50.00 लाख या उससे अधिक होना चाहिए। (ii) पिछले 03 वर्षो में सर्विस टेक्स/जी.एस.टी. जमा किए गए, का विवरण (सत्यापित अभिलेख)	
4.	सुरक्षा निधि के रूप में रू 1.00 लाख का एफ.डी.आर. जो आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पक्ष में हो, संलग्न करना होना।	

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर

भाग–दो (द्वितीय लिफाफा– 01 से 04 तक)

भाग – दो (क्रमांकः– 01)

(संस्था का सामान्य परिचय–पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

1. (अ) पंजीकृत कोचिंग संस्था का नाम : ....

(ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता : ....

: ....

(स) दूरभाष (कोड सहित) : ....

(द) कोचिंग संस्था के संचालक का नाम : ....

एवं पता/मोबाईल नम्बर : ....

2. कोचिंग संस्था किस समिति/फर्म/कम्पनी के अंतर्गत संचालित है :–

(अ) समिति/फर्म/कंपनी का नाम : ....

: ....

(ब) समिति/फर्म/कंपनी के कार्यालय : ....

का पूर्ण पता : ....

(स) दूरभाष (कोड सहित) : ....

तथा अधिकृत मोबाईल नम्बर : ....

(द) फर्म द्वारा किन–किन स्थानों पर कोचिंग : ....

संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है : ....

3. (अ) समिति/फर्म/कंपनी किस एक्ट के तहत पंजीकृत है: ....

(ब) समिति/फर्म/कंपनी का जीवित पंजीयन क्रमांक : ....

एवं बायलॉज की प्रमाणित प्रति : ....

(स) समिति/फर्म/कंपनी का वैद्यता दिनांक : ....

(द) समिति/फर्म/कंपनी के गवर्नमेन्ट बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक : ....

(इ) समिति/फर्म/कंपनी के अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक : ....

(फ) समिति/फर्म/कंपनी एक्ट के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष, : ....

एवं सदस्यों/पार्टनर/संचालको के नाम, पिता/पति का नाम, : ....

आयु, लिंग एवं पूर्ण पता : ....

4. अशासकीय शिक्षण संस्था को किस विभाग की मान्यता प्राप्त है, तथा किस अवधि तक के लिए वैध है, के बारे में विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें) : ....

5. प्रस्तावित प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त प्रोजेक्ट इन्चार्ज का नाम :–

(अ) इन्चार्ज का नाम : ....

(ब) शैक्षणिक अर्हता : ....

(स) अनुभव : ....

भाग – दो (क्रमांकः– 02)
(कोचिंग संस्था के मूल्यांकन हेतु)

क्र.	विवरण	संबंधित अभिलेख संलग्न किया जावे
1.	कोचिंग संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत कार्य योजना की रणनीति।	
2.	कोचिंग संस्था द्वारा प्रकाशित किताबों की एक प्रति।	
3.	कोचिंग संस्था द्वारा दिए जाने वाले स्टडी मटेरियल तथा टेस्ट पेपर (प्रिंटेड) की एक प्रति।	
4.	कोचिंग संस्था से राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विगत 3 वर्षो में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची।	

नोट :– छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर एवं शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या, सफलता का प्रतिशत प्रस्तुत करें तथा अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्गवार सूची पृथक से अवश्य रूप से संलग्न की जाये।

टीपः– केवल वांछित दस्तावेज ही संलग्न करें।

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

भाग – दो (क्रमांकः– 03)

(कोचिंग संस्था के फैक्लटी, जिनके द्वारा कोचिंग में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा)

क्र.	शिक्षक का नाम	योग्यता	स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण, बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्रतिशत	अनुभव (वर्ष में)	अध्यापन का विषय
1	2	3	4	5	6	7	8

टीप :– सभी का बायोडाटा अनिवार्यतः संलग्न करें।

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

भाग – दो (क्रमांकः– 04)

अन्य आवश्यक शर्ते :–

1. कोचिंग / प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु संसाधनिक सुविधाएं (भवन, फर्नीचर, कम्प्यूटर, स्टडी मटेरियल, आर.ओ. वाटर व्यवस्था इत्यादि) चयनित संस्था के द्वारा प्रदान की जायेगी। आवश्यक होने पर कार्य आदेश जारी किये जाने से पूर्व विभाग द्वारा संस्था का निरीक्षण किया जा सकेगा।
2. छात्रों के शंकाओं का समाधान हेतु कक्षाएं आयोजित करनी होगी।
3. कक्षा में लिए जाने वाले टेस्ट की सूचना तथा छात्रों की प्रगति की सूचना मॉनिटरिंग / कार्यालयीन समिति को देनी होगी।
4. किसी अलिखित समस्या के आने पर कोचिंग संस्था को मॉनिटरिंग / कार्यालयीन समिति के साथ सामंजस्य बिठाकर समस्या को सुलझाना होगा।
5. छात्रों के बौद्धिक विकास हेतु काउन्सलर की नियुक्ति कोचिंग संस्था को करनी होगी।
6. चयनित छात्रों के कक्षा में उपस्थिति तथा अनुशासन का ध्यान कोचिंग प्रबंधन को रखना होगा, अनुशासनहीन पाए जाने पर किसी चयनित छात्र के स्थान पर दूसरे छात्र को पढ़ने का अवसर मॉनिटरिंग / कार्यालयीन समिति के निर्णय से दिया जा सकेगा।
7. कोचिंग संस्था द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण सत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार तक प्रशिक्षण दिया जायेगा।
8. कोचिंग संस्थाओं को निर्धारित राशि का भुगतान राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के भाग (**B**) की कंडिका 10 के अनुसार किया जायेगा।
9. शासन के निर्देशानुसार ऑनलाईन / ऑफलाईन प्रशिक्षण प्रदान किया जाना होगा तथा ऑनलाईन / ऑफलाईन प्रशिक्षण हेतु अपेक्षित आधारिक संरचना(infrastructure)होना अनिवार्य है।
10. कोचिंग संस्था का संचालन राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के तहत् किया जायेगा। अतः अनिवार्य रूप से नियमावली का अवलोकन कर लेवें। उक्त नियमावली विभागीय वेब–साईट (www.tribal.cg.gov.in) पर उपलब्ध है।

संस्था संचालक की घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि आवेदन पत्र के भाग–2 (01) से लेकर भाग –2 (04) में दर्शाई गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

मैंने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण / कोचिंग योजना (राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019) एवं "रूचि की अभिव्यक्ति" में दिए गए प्रावधानों का भलीभांति अध्ययन कर लिया है एवं इससे सहमत हूँ। विभाग द्वारा मेरी संस्था को अध्यापन / प्रशिक्षण (कोचिंग) कार्य हेतु चयन किये जाने की स्थिति में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करूंगा एवं अनुबंध के शर्तों का पालन करूंगा।

दिनांक : ....
स्थान : ....

हस्ताक्षर / मोहर सहित

टीपः– प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र एवं इसमें संलग्न किए गए समस्त अभिलेखों पर संस्था संचालक का सील सहित हस्ताक्षर होना चाहिए।

छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग प्रदान किये जाने के लिए राज्य स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण
वर्ष 2022–23

वित्तीय प्रस्ताव – भाग (तीन)

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक........................दिनांक.......................के संदर्भ में)

कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि समस्त कर सहित (दर प्रति विद्यार्थी)	
	अंको में	शब्दों में
छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग / प्रशिक्षण		

उपरोक्त दर समस्त कर सहित है एवं इस दर पर मैं कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

टीप :– 1. यह वित्तीय प्रस्ताव पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे।
2. कोई भी कांट–छांट स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. ऑनलाईन / ऑफलाईन प्रशिक्षण हेतु दर एक ही रहेगा।